अध्ययन

स्कूल में पिटाई : भारतीय बच्चों का यथार्थ

लतिका गुप्ता

हमारे समाज में परिवारों एवं स्कूलों में बच्चों पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना मान्य तथ्य है। पिटाई से बच्चे के विकास एवं सीखने पर पड़ने वाले असर को अक्सर अनदेखा किया जाता है। यह शोध स्कूल में बच्चों की पिटाई के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत स्कूल में बच्चों को किसी भी कारण से पीटने, अपशब्द बोलने या शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना देने पर प्रतिबंध लग गया है। इस कानून के चौथे अध्याय में दिए गए नियम 17(I) में शारीरिक सजा एवं मानसिक प्रताड़ना के निषेध संबंधी बात वर्णित है। बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूल छोड़ने या स्तर के अनुसार न सीख पाने के पीछे पिटाई एक मजबूत कारण बनी रहती है। सजा के कारण बहुत से बच्चों के लिए स्कूल काफी कष्टदायी, उदासी देने वाला एवं नीरस बन जाता है। स्कूल में मिलने वाली सजा भारतीय समाज का एक ऐसा पहलू है जो शैक्षिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया है। 'स्कूलों में बच्चे बहुत पिट रहे हैं' या 'कोई-कोई अध्यापक ही मारता है, सब तो नहीं मारते' या 'फिर सख्ती न हो तो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते' जैसे जुम्लों में ही सिमटकर रह जाता है। इसके खिलाफ बोलने वाले भी कई लोग यह मानने से नहीं शर्माते कि पीटे बिना बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। 'बच्चे तो स्वभाव से ही उद्दण्ड होते हैं' जैसी कहावतों को सही मानने वाले लोग समाज के हर तबके में मिलते हैं। बच्चों को पीटना एवं डांटना भारतीय परिवारों के जीवन का आम पहलू है। बाजार, सड़क, मोहल्ले, बस या रेल स्टेशन, शादी जैसे सार्वजनिक स्थानों या मौकों पर छोटे बच्चे अक्सर डांट खाते या पिटते हुए दिखाई देते हैं। बहुत छोटे बच्चों को तो डांट एवं मार के अलावा भूत का भी डर दिखाया जाता है। ऐसे में स्कूल में शिक्षक से पिटना या डांट खाना कोई विशेष अंतर नहीं रखता जब तक कि बच्चा गंभीर रूप से घायल न हो जाए।

पिटाई या डांट खाने के कारण की जिम्मेदारी हमेशा बच्चे पर ही होती है। अतः बच्चे दोगुना बोझ सहते हैंः पिटने का एवं गलती करने के इल्जाम का। बड़े या वयस्कों पर पीटने या डांटने की जिम्मेदारी होती है। बच्चों और बड़ों के बीच इस विभाजन को समाज की एक मूक सहमति मिली हुई है। इसके चलते आम भारतीय बच्चा बहुत कम उम्र में ही यह आत्मसात कर लेता है कि अगर वह पिटता है तो वह उसके लिए जिम्मेदार है और बच्चे को उसके लिए शर्मसार रहना चाहिए। पिटा या डंटा हुआ बच्चा अपने को ही दोषी मानता है और गलत करने के अपराध भाव से ग्रस्त रहता है, भले ही वह प्रतिरोध में रोए या चिल्लाए। इस कारण बच्चों से इस विषय पर बात कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सजा पाए एक बच्चे से उसके अनुभव के बारे में बात करते समय यह खतरा रहता है कि उसका दर्द और अपमान की भावना ताजा हो जाएगी जिससे वह और ज्यादा दुखी ही होगा। इसलिए भारतीय बच्चों के स्कूली अनुभव के इस पहलू पर कोई विशेष शोध नहीं हो पाए हैं। एक अनजाने बच्चे से उसके पिटने या सजा पाने के अनुभव के बारे में बात कर पाने के लिए जिस तरह की सूक्ष्मग्राहिता चाहिए, उसे शोध करने वाले महसूस कर पाएं; यह बहुत मुश्किल है। कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो। बहुत सारे बच्चों से सूक्ष्मग्राही ढंग से बात कर पाना चुनौती भरा एवं कठिन काम है। छोटे बच्चे वैसे भी

लेखक परिचय

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की कई परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है। लड़कियों की अस्मिता के संदर्भ में धर्म और लिंग भाव के संबंधों पर शोध किया है। एन.सी.ई.आर.टी. से प्रकाशित क्रमिक पुस्तकमाला 'बरखा' की समन्वयक रही हैं।

अजनबियों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। बच्चों से उनको मिली सजा के बारे में बात करना एक गहरी तैयारी की मांग करता है जिसमें बाल मनोविज्ञान एवं बचपन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण शामिल होना चाहिए। इस तरह के अकादमिक ढांचे में संस्थागत अध्ययन करने में तमाम मुश्किलें पेश आती हैं। अध्ययन के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अनुमोदन देने वालों को अध्ययन की जरूरत और तरीके के बारे में आश्वस्त करना बहुत मुश्किल होता है। अनुमोदन देने वाले अक्सर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा सिद्धांत से वास्ता नहीं होता। अध्ययन कर पाने वालों एवं अनुमति देने वालों के बीच का फासला कदम-कदम पर आड़े आता है।

इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने 2009-10 में 7 राज्यों के बच्चों के स्कूल में सजा पाने के अनुभव पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के उद्देश्य थेः

- भारतीय बच्चों के रोजाना के स्कूली तजुर्बे में सजा की वास्तविकता का पता लगाना
- भारतीय स्कूलों में प्रचलित हिंसक सजाओं का ब्यौरा इकट्ठा करना
- बच्चों को मिलने वाली सजाओं में उनकी उम्र के हिसाब से अंतर पता करना
- विभिन्न प्रकार के स्कूलों में मिलने वाली सजाओं का ब्यौरा इकट्ठा करना
- लड़कों और लड़कियों को मिलने वाली सजाओं में अंतर का पता लगाना

इस अध्ययन में बच्चों से साक्षात्कार के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से मदद ली गई थी।

अध्ययन की विधि : प्रतिक्रिया (projective) तकनीक

यह अध्ययन बच्चों को स्कूल में मिलने वाली सजा का एक सर्वे था। इस अध्ययन की संकल्पना इस तरह की गई थी कि सीधे-सीधे बच्चों से सजा के मुद्दे पर बिना उनके निजी अनुभव का जिक्र छेड़े बात हो सके। इस अध्ययन में माता-पिता एवं शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया और बच्चों से उनके सामने बात नहीं की गई। अध्ययन का ढांचा तैयार करते वक्त इस चुनौती को स्वीकारा गया था कि बच्चों में बिना डर पैदा करे उनकी झिझक को दूर करना है और तब सजा जैसे मुद्दे को छेड़ना है। अध्ययन में बच्चों का साक्षात्कार एक विशेष रूप से तैयार किए गए साधन के आधार पर किया गया। यह विकसित किया गया साधन चित्रों का संकलन था। चित्रों की मदद से प्रोजैक्टिव तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसमें बच्चे को चित्र दिखाकर उसके बारे में बात की जाती है और बच्चा उस चित्र में बने बच्चे में अपने-आपको प्रत्यारोपित करते हुए प्रतिक्रिया देता है जिसमें उसका अपना अनुभव शामिल होता है।

विशेष तौर पर ऐसे चित्र बनवाए गए जिनमें बच्चे को कोई सजा पाते हुए दिखाया गया। सजाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में वे सजाएं शामिल थीं जिनमें सजा देने वाला वयस्क सीधा वार करता है तब बच्चे को दर्द होता है जैसे कि, गाल पे थप्पड़, पीठ पर धौल, मुक्का, डंडे से पीटना, उंगलियों के गट्टों पर फुटे से मारना, बांह या कान का मरोड़ना इत्यादि। दूसरी श्रेणी में वे सजाएं थीं जिनमें सजा देने वाला खुद कुछ नहीं करता बल्कि बच्चों के शरीर को ऐसी अवस्था में ले आता है जिससे बच्चों को दर्द होने लगता है जैसे कि, एक टांग पर या हाथ उठाकर खड़ाकर देना, घुटनों के बल बिठाना, मुर्गा बनाना, शौचालय न जाने देना, धूप में खड़ा करना या मैदान के चक्कर लगवाना इत्यादि। इन सजाओं की विशेषता है कि बच्चे का खुद का शरीर दर्द का स्रोत बनता है इसलिए मानसिक रूप से ये दोगुनी भूमिका अदा करती हैं। इन सजाओं से दर्द तो होता ही है साथ ही उस दर्द का स्रोत स्वयं बच्चे का शरीर होता है। बच्चे की असहायता बढ़ जाती है क्योंकि वह खुद के शरीर से पैदा होने वाले दर्द को रोक नहीं पाता। तीसरी श्रेणी में मौखिक प्रताड़ना यानी बच्चों से गाली या अपशब्द सुनने के बारे में प्रश्न पूछे गए। कुछ सामान्य प्रश्न पूछे गए जैसे कौनसे बच्चे कक्षा में अक्सर सजा पाते हैं अथवा शिक्षक को कौनसी बातें बुरी लगती हैं कि वे गुस्से में आकर सजा दे देते हैं और कितनी बार देते हैं।

साक्षात्कार की जगह एवं तरीका

शिक्षक एवं माता-पिता की निगाह से दूर बच्चों से बस-स्टैंड, स्कूल आते समय एवं घर लौटते समय गलियों में साक्षात्कार किया गया। बस या रिक्शे का इंतजार करते समय या स्कूल से वापस आते समय बच्चा या तो मिलने वाली सजा के बारे में या मिल चुकी सजा के बारे में सोच रहा हो, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हमारे शोधक बच्चे के सामने चित्रों का संकलन रखते थे और उससे पूछते थे कि क्या उसने ऐसा होते हुए देखा है? धीरे-धीरे चित्रों की मदद से आगे बढ़ते हुए बच्चे से पूछा जाता था कि उस बच्चे ने चित्र में बनी सजा भुगती है क्या? शोधक एक-एक चित्र पर रुक-रुक कर आगे बढ़ते थे। बच्चों को जिन अपशब्दों से संबोधित किया जाता है यह जानने के लिए उनके सामने कुछ अपशब्द बोले गए और पूछा गया कि क्या उनको ऐसे संबोधित किया जाता है। फिर उनसे अन्य गालियां या अपशब्द बताने के लिए कहा गया। बच्चे से उसका नाम या पता नहीं पूछा गया।

बच्चों का चयन

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू एवं पश्चिम बंगाल में इस सर्वे को किया गया। बच्चों को किसी भी विशेष आधार पर नहीं चुना गया। बच्चों से बातचीत के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थियों एवं गैर-सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मदद ली गई। सर्वे में अनियमित सैंपल था, यानी जो भी बच्चे मिले उनका साक्षात्कार किया गया, इसलिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों एवं विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बच्चे शामिल हो सके। अध्ययन में 3 से 17 वर्ष के बच्चे शामिल हुए और कुल बच्चों की संख्या 6,632 थी। ये बच्चे ऊपर वर्णित 7 राज्यों से थे।

अध्ययन के तहत बच्चों का विवरण

इस खंड में सैंपल का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। परिचय को तीन आयामों के आधार पर बनाया गया हैः आयु वर्ग, स्कूल का प्रकार एवं बच्चों का लिंग। तालिका 1, 2 एवं 3 में सैंपल का विवरण प्रस्तुत हैः

तालिका 1 : आयु अनुसार आंकड़े

आयु वर्ग	बच्चों की संख्या	प्रतिशत
3-5 वर्ष	107	1.6
6-9 वर्ष	1897	28.6
10-14 वर्ष	4193	63.2
15-17 वर्ष	365	5.5
उम्र नहीं बताई	70	1
कुल	6632	100

तालिका 2 : स्कूल के प्रकार के अनुसार आंकड़े

स्कूल का प्रकार	बच्चों की संख्या	प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा संचालित	3567	53.7
केन्द्र सरकार द्वारा संचालित	857	12.9
प्राइवेट	1993	30.05
स्कूल का प्रकार नहीं बताया	215	3.23
कुल	6632	100

तालिका 3 : बच्चों के लिंग के अनुसार आंकड़े

लिंग	बच्चों की संख्या	प्रतिशत
लड़के	3556	53.6
लड़की	2969	44.7
लिंग नहीं बताया	107	1.6
कुल	6632	100

उपरोक्त तीनों तालिकाओं में देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के थे जिनको शिक्षा के अधिकार कानून का सरंक्षण प्राप्त है। देश में राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वही इस अध्ययन के सैंपल में भी देखा जा सकता है (डाइस 2012-13)। सैंपल में लड़कियों की संख्या लिंग आधारित विश्लेषण करने एवं प्रक्षेप के लिए पर्याप्त है।

विश्लेषण

अध्ययन में जिन 6,632 बच्चों ने भाग लिया उनमें से केवल 9 बच्चे ऐसे थे जिन्हें स्कूल में किसी भी तरह की सजा नहीं मिली थी। बाकी 99.86 प्रतिशत बच्चों को किसी न किसी रूप में मार खाने, दर्द सहने एवं अपशब्द सुनने का अनुभव था। तालिका 4 में बच्चों को पिछली बार सजा कब मिली थी इसका विवरण दिया गया है।

तालिका 4 : बच्चों द्वारा अनुभव की गई सभी तरह की सजाओं का क्रमवार वितरण

सजा	प्रतिशत बच्चों ने पाई	क्रम	सजा की किस्म
उपहासपूर्ण विशेषणों से संबोधित किया गया या दिमागी कमियां बताईं	81.2	1	मौखिक
बेंत से पीटा	75	2	वयस्क का सीधा वार
गाल पे थप्पड़	69.9	3	वयस्क का सीधा वार
पीठ पे धौल	57.5	4	वयस्क का सीधा वार
कान मरोड़े	57.4	5	वयस्क का सीधा वार
कक्षा के बाहर खड़ा किया गया	53	6	शरीर की अवस्था से
हाथ पे फुटे से मारा	51	7	वयस्क का सीधा वार
हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा किया गया	42.7	8	शरीर की अवस्था से
मुर्गा बनाया	41.4	9	शरीर की अवस्था से
जानवर वाली गाली दी	40.7	10	मौखिक
घुटनों के बल बिठाया	38.8	11	शरीर की अवस्था से
चुटकी काटी	26.9	12	वयस्क का सीधा वार
उंगलियों के गटटों पे मारा	23.6	13	वयस्क का सीधा वार
मेज पे खड़ा किया	23.1	14	शरीर की अवस्था से
बाल खींचे	21.6	15	वयस्क का सीधा वार
बांह मरोड़ी	19.2	16	वयस्क का सीधा वार
शौचालय नहीं जाने दिया	17.9	17	शरीर की अवस्था से
मैदान के चक्कर लगवाए	15.3	18	शरीर की अवस्था से
एक टांग पे खड़ा किया	15.2	19	शरीर की अवस्था से
यौन/व्यंजनापरक गालियां	14.5	20	मौखिक
उंगलियों में पेंसिल फंसा के दबाना	12	21	वयस्क का सीधा वार
जातिगत गालियां	10.1	22	मौखिक
नाक मरोड़ना	6.8	23	वयस्क का सीधा वार
दो लड़कियों की चोटी बांध देना	2.8	24	शरीर की अवस्था से
कुर्सी या मेज से बांध देना	1.2	25	वयस्क का सीधा वार
धमकी देना	0.8	26	मौखिक
बिजली का झटका लगाना	0.4	27	वयस्क का सीधा वार

तालिका 4 में उन सभी सजाओं एवं पिटाई के तरीकों को क्रमवार प्रस्तुत किया गया है जो इस अध्ययन में बच्चों ने बताईं। तालिका को देखने से पता चलता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है और उनका उपहास बनाया जाता है। उनको कामचोर, नालायक, बेवकूफ इत्यादि अपशब्दों से संबोधित करके यह जताया जाता है कि वे पढ़ने-लिखने लायक नहीं हैं। अगले चार स्थानों पर हैं 4 तरह की पिटाईः बेंत से, थप्पड़, पीठ पे धौल एवं कान मरोड़े जाना। अगर सबसे ज्यादा मिलने वाली तीन सजाओं का त्रिकोणीय विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जो तीनों सजाएं पाते हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाली 5 सजाओं में से 4 ऐसी हैं जिनमें दर्द सीधे शिक्षक के वार करने से होता है। एकत्रित आंकड़ों में बच्चों को बिजली का झटका लगाए जाने की बात भी उभर कर आई।

सजाएं जिनमें शिक्षक सीधे वार करते हैं

बच्चों को हाथ या किसी वस्तु की मदद से पीटना, उनके नाक या कान मरोड़ना, उंगुलियों को तरह-तरह से दर्द देना या फिर चिकोटी काटना सजाओं की उस श्रेणी में आता है जिसमें शिक्षक या वयस्क के सीधा वार करने से बच्चे को तकलीफ होती है। ऐसी सजाओं में से छः सबसे ज्यादा दी जाने वाली सजाओं का विश्लेषण इस खंड में किया गया है।

तालिका 5 : शिक्षक के सीधे वार से जुड़ी प्रचलित पिटाई के तरीकों का वितरण (प्रतिशत)

आयु वर्ग	बेंत से पीटा	गाल पे थप्पड़	पीठ पे धौल	कान मरोड़े	हाथ पे फुटे से मारा	चिकोटी काटी
3-5 वर्ष	65.4	60.7	50.5	59.8	37.4	29.9
6-9 वर्ष	73.5	71.3	57.8	59.9	52	25.9
10-14 वर्ष	76	70	58.3	57.3	51.8	27
3-17 वर्ष (कुल)	75	69.9	57.5	57.4	51	26.9

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि बच्चों को बेंत से पीटकर काबू में लाना भारतीय स्कूलों में सबसे ज्यादा प्रचलित उपाय के रूप में उभर कर आता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि बेंत एक अस्त्र है जबकि इस श्रेणी की अन्य सभी सजाएं वयस्क के हाथ द्वारा दी जाती हैं। बेंत लंबी चली आ रही परंपरा की द्योतक है जिसमें शिक्षक हाथ की छड़ी से ही पहचाना जाता था। इस परंपरा में छड़ी बच्चों को काबू करने का साधन थी। अगली दो प्रचलित पिटाई हैंः गाल पे थप्पड़ एवं पीठ पे धौल जो बेंत से जरा-सा ही पीछे हैं। बच्चों को काबू में करने और उनका काम सुधरवाने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित तीन तरह की पिटाई को अगर लगने वाली चोट और शारीरिक एवं मानसिक आघात की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा क्रूर एवं घातक हैं। रीढ़ की हड्डी स्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूती एवं बल देती है किन्तु 57.5 प्रतिशत भारतीय बच्चे इस हड्डी पर स्कूल में निरंतर आघात सहते हैं। कानों का मरोड़ा जाना, हथेली पर फुटे से मारना तथा चुटकी काटना भी काफी चलन में हैं।

तालिका 5 इस बात पर भी रोशनी डालती है कि नर्सरी एवं पहली कक्षा के 65 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे बेंत से पिट चुके हैं और 61 प्रतिशत से ज्यादा गाल पे थप्पड़ खा चुके हैं। शुरुआती कक्षाओं में ही इन बच्चों ने स्कूल के दुखद पहलू को भुगत लिया और अमानवीय व्यवहार झेल लिया है। विश्लेषण करने से यह भी निकलकर आता है कि पीटने की प्रथा नर्सरी कक्षाओं में उतनी ही प्रचलित है जितनी कि प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक कक्षाओं में। उम्र के साथ पिटाई की उग्रता एवं आवृत्ति थोड़ी-सी बढ़ती है लेकिन पीटा जाना हर उम्र के बच्चों के स्कूली जीवन का आम हिस्सा है।

तालिका 6 : शिक्षक के सीधे वार से जुड़ी प्रचलित पिटाई के तरीकों का लिंग आधारित वितरण (प्रतिशत)

लिंग	बेंत से पीटा	गाल पे थप्पड़	पीठ पे धौल	कान मरोड़े	हाथ पे फुटे से मारा	चुटकी काटी
लड़के	78	71.9	59.8	60.7	53	78
लड़कियां	71.1	67.1	53.9	53.5	48.5	71.1

यह आम धारणा है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को सजा कम मिलती है और उन्हें पीटा नहीं जाता। तालिका 7 में प्रस्तुत आंकड़े इससे विपरीत स्थिति बयान करते हैं। लड़कियों की पिटाई कोई खास कम नहीं होती है। गाल पर थप्पड खाने में लड़कियां सिर्फ 4 प्रतिशत से पीछे हैं। एक सजा है जो विशिष्ट रूप से लड़कियों को दी जाती है और दी जा सकती है। वह है बाल खींचना या दो लड़कियों की चोटी बांध देना। यह सजा अन्य सजाओं को थोड़ा बहुत कम कर देती होगी लेकिन भारत के स्कूलों में लड़कियों को भी बेंत से पीटा जाता है और उनकी पीठ पे मुक्के भी मारे जाते हैं।

तालिका 7 : शिक्षक के सीधे वार से जुड़ी प्रचलित पिटाई के तरीकों का स्कूल के प्रकार से निकला वितरण (प्रतिशत)

स्कूल का प्रकार	बेंत से पीटा	गाल पे थप्पड़	पीठ पे धौल	कान मरोड़े	हाथ पे फुटे से मारा	चुटकी काटी
राज्य सरकार द्वारा संचालित	78.2	69.6	61.5	58.6	52.3	28
केंद्र सरकार द्वारा संचालित	78.9	69.7	64.5	48.7	51.3	27
प्राइवेट	69	70.5	49.3	54.4	49.5	23.7

तालिका 7 में देखा जा सकता है कि बच्चा किसी भी तरह के स्कूल में चला जाए उसके तरह-तरह से पिटने की संभावना बनी ही रहती है। पीटने के मामले में राज्य या केन्द्र सरकारों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में कोई खास अंतर नहीं है। शारीरिक बल से हर तरह के स्कूल में बच्चों को काबू किया जाता है। गौर से तालिका 7 का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पीटने के कुछ तरीके भले ही थोड़े कम प्रचलित हों लेकिन पीटने की आवृत्ति ज्यादा है यानी शारीरिक दंड मिलने की संभावना सबसे अधिक है। बच्चे को पीटकर काबू करने की मानसिकता प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है। गाल पे थप्पड़ मारना हर प्रकार के स्कूल में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बेंत या फुटे से मारने के आंकडों में अलग तरह के स्कूलों में जरा-सा ही अंतर है जबकि, पीठ पे धौल प्राइवेट स्कूल के बच्चे थोड़ी कम खाते हैं।

सजाएं जिनमें शिक्षक बच्चे के शरीर को दर्द देने का साधन बनाते हैं

हाथ उठाए धूप में कक्षा के बाहर खड़े बच्चों की कतार भारतीय स्कूलों का आम दृश्य है। इस सजा के कई प्रारूप हैं जैसे कि, बच्चों को हाथ उठाकर देर तक खड़ा रखना, एक टांग पे खड़ा रखना या मेज पे खड़ा करना, मुर्गा बनवाना, लड़कियों की चोटी बांध के खड़ा कर देना इत्यादि। इस श्रेणी की सजाओं में दर्द कोई बाहर से नहीं देता बल्कि खुद बच्चे के शरीर में से ही पैदा होता है।

तालिका 8 : शरीर की अवस्था से होने वाले दर्द संबंधी सजाओं का वितरण (प्रतिशत)

आयु वर्ग	कक्षा के बाहर खड़ा किया	हाथ ऊपर करके खड़ा किया	मुर्गा बनाया	घुटने के बल बिठाया	मेज पे खड़ा किया	एक पैर पे खड़ा किया	दो लडकियों की चोटी को बांधा
3-5 वर्ष	46.7	36.4	33.6	42.1	18.7	25.2	7.5
6-9 वर्ष	46.8	41.2	41.6	35.8	23	14.7	2.5
10-14 वर्ष	54.9	44	41.8	40.5	23.7	15.6	2.9
3-17 वर्ष (कुल)	53	42.7	41.4	38.8	23.1	15.2	2.8

तालिका 8 से जाहिर होता है कि हमारे स्कूलों में बच्चों के पैरों, बांहों, हाथों एवं बालों का इस्तेमाल उन्हें पीड़ा देने के लिए किया जाता है ताकि वे अपने व्यवहार को शिक्षक की इच्छा अनुसार ढाल लें। इस तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि बच्चों के शरीर के साथ कडा व्यवहार बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो जाता है। दरअसल जैसे ही बच्चे तीन साल की उम्र में स्कूल आना शुरू होते हैं उनको इस तरह की सजाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। 5 साल तक की उम्र के ऐसे 46.7 प्रतिशत बच्चे हैं जो कक्षा के बाहर खड़े हो चुके हैं। ये सजाएं सबसे ज्यादा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती हैं। तालिका 8 में इन सजाओं से संबंधित एक स्वरूप उभर कर आता है कि जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है सजा मिलने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे इन सजाओं की निरर्थकता जाहिर होती है। अगर सजा मिलने से बच्चों का व्यवहार बदलता होता तो उम्र बढ़ने के साथ सजा की आवृत्ति और प्रकार घटने चाहिए थे। कुछ सजाएं हर उम्र के बच्चों को ज्यादा मिल रही हैं यानी कि प्राथमिक शिक्षा की पूरी की पूरी यात्रा ही दर्द भरी है।

तालिका 9 : शरीर की अवस्था से होने वाले दर्द संबंधी सजाओं का लिंग आधारित वितरण (प्रतिशत)

लिंग	कक्षा के बाहर खड़ा किया	हाथ ऊपर करके खड़ा किया	मुर्गा बनाया	घुटने के बल बिठाया	मेज पे खड़ा किया	एक पैर पे खड़ा किया	दो लडकियों की चोटी को बांधा
लडके	53.5	43	45.1	39.3	23.8	15.9	0
लड़कियां	53	42	36.1	37.2	22.5	14.4	3.6

केवल मुर्गा बनाते समय लड़कियों को थोड़ी-सी राहत दी जाती है, नहीं तो इन सजाओं से मिलने वाला दर्द लड़कियां भी बराबर ही सहती हैं। वे कक्षा के बाहर बराबर ही खड़ी होती हैं और एक सजा अतिरिक्त पाती हैं। वह सजा है बाल खिंचवाने या चोटी बंधवाने की। सजा देते समय शिक्षक लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करते।

तालिका 10 : शरीर की अवस्था से होने वाले दर्द संबंधी सजाओं का स्कूल के प्रकार पर आधारित वितरण (प्रतिशत)

स्कूल का प्रकार	कक्षा के बाहर खड़ा किया	हाथ ऊपर करके खड़ा किया	मुर्गा बनाया	घुटने के बल बिठाया	मेज पे खड़ा किया	एक पैर पे खड़ा किया	दो लडकियों की चोटी को बांधा
राज्य सरकार द्वारा संचालित	50.8	38.7	40.6	40.4	20.3	15.4	2.4
केन्द्र सरकार द्वारा संचालित	54.4	51.8	48.7	28.3	30.3	18.4	2.6
प्राइवेट	57.2	52.4	41.3	29	29.2	12.4	2.1

अक्सर यह माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल सजा कम देते हैं और उनकी सजाएं कम कठोर होती हैं। लेकिन, तालिका 10 के आंकड़े जो स्थिति दर्शाते हैं वह इसके विपरीत है। इस तालिका से प्राइवेट स्कूलों की जो छवि उभरती है वह दूसरे स्कूलों के मुकाबले कम क्रूर नहीं है। बल्कि, कई सजाएं ऐसी हैं जो सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी कम दी जा रही हैं जैसे कि, कक्षा के बाहर खड़ा करना या ऊपर हाथ करके खड़ा करना। केन्द्रीय सरकार के स्कूलों में भी सजा प्राइवेट स्कूलों की तरह ही नियमित रूप से सभी उम्र के बच्चों को दी जाती है।

बच्चों को अपशब्द कहना या गाली देना

इस खंड में बच्चों के सामने साधारणतया दी जाने वाली केवल 10 गालियां रखी गईं थीं जिनमें जातिगत या यौन व्यंजनापरक गालियां नहीं थीं। कोई अन्य? प्रश्न के जवाब में बच्चों ने स्कूल में दी जाने वाली बहुत सारी गालियां बताईं जिनसे एक लंबी सूची बनी। बच्चों द्वारा बताई गई गालियों के शब्दों में व्यक्त मंशा के आधार पर उनको पांच श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों में विभजित गालियों का विवरण निम्न हैः

उपहासपूर्ण विशेषण या दिमागी कमियां

पागल, इडियट, नालायक, कामचोर, बेवकूफ, बेशर्म, मंदबुद्धि, उल्टी खोपड़ी, बतदमीज, जाहिल, बुद्धू, निकम्मा, फुलिश नं 1, चुड़ैल, अनाड़ी, अक्लमंद, बेअक्ल, अंधा, ढीठ, बीमारी, आवारा।

जाति एवं समुदाय आधारित

बदजात, कंजड़, आदिवासी, भिखारी, अशुद्ध, चमार, पापी, बिहारी, तुम कचड़े से आते हो।

यौन-व्यंजनापरक

हरामी, हरामखोर, साला, कमीना, तेरी मां नाचे है एवं ऐसी कई गालियां जो औरतों के प्रति अपमानजनक होती हैं।

जानवर वाली गाली

कुत्ता, सुअर, भैंस, जंगली घोड़ा, गधा, कुत्ते का पिल्ला इत्यादि।

धमकियां

खाल खींच लूंगा, दांत तोड़ दूंगी, हड्डी तोड़ दूंगा, स्कूल से निकाल दूंगी, फेल कर दूंगा या दूंगी इत्यादि।

तालिका 11 : गालियों का उम्र अनुसार वितरण (प्रतिशत)

आयु वर्ग	दिमागी कमियां	जानवर वाली गाली	यौन-व्यंजना परक	जाति एवं समुदाय आधारित	धमकियां
3-5 वर्ष	82.2	54.2	23.4	11.2	0.5
6-9 वर्ष	75.3	39.8	14.3	9.4	0.4
10-14 वर्ष	83.8	41.4	14.4	10.5	1
3-17 वर्ष (कुल)	81.2	40.7	14.5	10.1	0.8

स्कूल में बच्चों का उपहास किया जाता है और उन्हें दिमागी रूप से कमजोर कहा जाता है। तीन साल के बच्चों इस तरह के अपशब्द कहे जाते हैं यानी उनकी क्षमताओं को विकसित करने की जगह शिक्षक उनकी संभावनाओं को

नकारते हैं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा गाली सुनते हैं, यहां तक कि यौन-व्यंजना परक भी जो शायद वे समझ भी नहीं पाते। जाति आधारित गालियों को गैर-कानूनी घोषित हुए एक दशक से ज्यादा हो गया लेकिन स्कूल में इनका प्रयोग आज भी जारी है। स्कूल कई तरह की सीख पाने का जरिया बनता है। जाहिर है, वह बच्चों को गाली सीखने का मौका भी दे रहा है। स्कूल में जो बोला और किया जाएगा वह सीखे जाने की संभावना प्रबल होती है।

सजा या पिटाई के कारण

स्कूल में पिटाई, सजा और अपशब्दों के आंकड़ों के बाद स्वभाविक प्रश्न उनके पीछे के कारण के बारे में उठता है। साक्षात्कार में बच्चों से जब कारण पूछे गए तो उनके उत्तरों से एक लंबे सूची तैयार हुई जो श्रेणीबद्ध नीचे दी जा रही हैः

1. पढाई लिखाई से संबंधित

होमवर्क न करने पर, कक्षा कार्य न करने पर, कॉपी-किताब न लाने पर, प्रश्न उत्तर न सुनाने पर, पढ़ते समय किताब में उंगली न रखने पर, पैन न लाने पर, टीचर से ज्यादा सवाल करने पर, दूसरे विषय का काम करने पर।

2. बालोचित व्यवहार एवं इंसानी जरूरत

बात करने पर, मस्ती करने पर, छुपकर खाना खाने पर, टॉयलेट में ज्यादा समय बिताने पर, टॉयलेट जाने के लिए पूछने पर, बिना पीरियड के बाहर खेलने पर, पढ़ते समय बात करने पर, लाइन तोड़कर पानी पीने जाने पर, क्लास में खड़ा होने पर, कागज के हवाई जहाज उड़ाने पर, प्रार्थना से पहले खेलने पर, लंच के बाद देर से आने पर, क्लास के बाहर घूमने पर, बिना पूछे टॉयलेट जाने पर, खाने की घंटी में ब्लैकबोर्ड पर लिखने पर, क्लास में खेलने पर, क्लास में खड़ा होने पर, धीमे बोलने पर, मेज के चारों ओर घूमने पर, टॉयलेट जाने के नाम पर घूमने पर, बाहर से चीजें खरीदने पर, टीचर की मेज पर बैठने पर, क्लास में सो जाने पर, टीचर के कमरे के बाहर खेलने पर, प्रार्थना में आंख खोलने पर, हंसने पर।

3. स्कूल में निरुद्देश्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए

वर्दी में कमी रहने पर, बहुत छुट्टियां करने पर, टीचर का मांगा सामान न लाने पर, लंच में घर भाग जाने पर, स्कूल लेट आने पर, बिना नहाए आने पर, प्रार्थना के बाद कक्षा में लेट आने पर, टीचर को गुड मार्निंग न कहने पर, स्कूल से घर भाग जाने पर, माता.पिता को साथ न लाने पर, फीस समय पर न लाने पर।

4. बेमतलब

गुस्सा आने पर बिना गलती के भी मारती है।

जिन कारणों से बच्चे पिटाई और सजा पाते हैं उनमें से अधिकतर का संबंध गरीबी एवं पढ़ाई-लिखाई से जुड़े संघर्षों से है। उत्तर न दे पाना ऐसा कारण है जिसकी जिम्मेदारी शिक्षक के पढ़ाने के तरीके पर आनी चाहिए लेकिन, पीटकर या सजा देकर शिक्षक उसे बच्चे पर थोप देते हैं। बच्चों को खेलने, आंख खोलने, खाना खाने, पानी पीने एवं टॉयलेट जाने के लिए भी दंड मिलता है। इससे पता चलता है कि स्कूल बच्चों को उनके बालोचित रूप में स्वीकारने में असमर्थ है। पेन इत्यादि न लाने को परिवार की गरीबी से जोड़कर देखने की बजाय सुविचारित अवज्ञा की तरह देखा जाता है। शिक्षक रट पाने को सीखने के एकमात्र घटक मानते हैं और बच्चे उत्तर न रट पाएं तो उनको मारते हैं। इस आंकडे से एक बहुत ही कमजोर शिक्षक की छवि उभरती है जिसकी शिक्षणशास्त्र एवं बचपन की सैद्धांतिक समझ बहुत ही कमजोर है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निकलकर आया है कि भारतीय बच्चों का पिटाई खाने और गाली सुनने का अनुभव स्कूल में आते ही शुरू हो जाता है और जब तक वे स्कूल में रहते हैं तब तक चलता रहता है। पिटाई का इस्तेमाल शुरुआती वर्षों में डर पैदा करने और बाद में अनुशासन बनाए रखने में होता है। दरअसल, स्कूल बच्चों को डर और हिंसा की संस्कृति में समाजीकृत करता है। छोटे-बड़े, लड़के, लड़कियां सभी मार खाते हैं, सजा पाते हैं और गाली सुनते हैं। स्कूल न केवल एक हिंसक संस्था की तरह उभरता है बल्कि बच्चों के विकास में अहितकारी हो जाता है। स्कूल ही बच्चों को यह संप्रेषित करता है कि वे सीखने लायक नहीं बन सकते जबकि स्कूल का काम है उनकी क्षमताएं एवं कौशल विकसित करना। तीन-चार साल की उम्र में ही स्कूल यह विचार संचारित कर देता है कि वह एक सहयोगी संस्था न होकर गलती ढूंढ़ने वाली संस्था है। बच्चे की गरिमा का ह्रास स्कूल छुटपन में ही कर देता है और बच्चों के साथ बेसब्री भरा व्यवहार करता है। वह बच्चों को उनके बालोचित मानस और व्यवहार के साथ स्वीकार नहीं पर पाता।

स्कूल का सबसे प्रबल अनुभव शारीरिक दर्द का है। बच्चे के शरीर को आज्ञा पालन के लिए औजार की तरह उपयोग किया जाता है जिसे 'ठोक-बजा' कर काम निकालने की मंशा दिखती है। बाल, हाथ, पैर, कान, पीठ, पेट, मूत्राशय सभी अंगों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी पढ़ाई के लिए अंतःक्रिया शरीर से ज्यादा होती है। बच्चे की नजर से देखें तो स्कूल का अनुभव बहुत ही तनावपूर्ण महसूस होता है। स्कूल का प्रकार, बच्चे की आयु एवं लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सजा और पिटाई की संभाव्यता ऊंची ही रहती है। ◆

(यह अध्ययन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा करवाया गया है। इस अध्ययन की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अध्ययन की इस संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आभार व्यक्त करते हैं)